प्रेस विज्ञप्ति

17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने **छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में** धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.01.2025 को कवासी लखमा (विधायक) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने कवासी लखमा को 6 दिनों के लिए यानी 21.01.2025 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी है। शराब घोटाले के दौरान कवासी लखमा छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी मंत्री थे।

ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त शराब घोटाले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब की तस्करी समेत आबकारी विभाग के पूरे मामले की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अवैध और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने नीति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में एफएल-10ए लाइसेंस की शुरुआत हुई। वह सिंडिकेट का अभिन्न अंग था और सिंडिकेट के निर्देशों के अनुसार प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में हेरफेर करके सक्रिय रूप से सिंडिकेट की सहायता करता था। जांच में पता चला है कि शराब घोटाले से होने वाली अपराध आय (पीओसी) में से कवासी लखमा को हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपये मिल रहे थे। ईडी द्वारा की गई जांच में कवासी लखमा द्वारा अचल संपत्तियों के निर्माण में प्राप्त की गई पीओसी के उपयोग से जुड़े सबूत एकत्र करने में सफलता मिली है।

ईडी की जांच से पता चला है कि शराब घोटाले (जो 2019 से 2022 के बीच हुआ) में भ्रष्टाचार कई तरीकों से किया गया:

• **भाग-ए कमीशन:** "विभिन्न डिस्टिलर्स" से "सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रत्येक मामले" के आधार पर रिश्वत एकत्र की गई थी।

• **भाग-बी कच्ची शराब की बिक्री:** बिना हिसाब-किताब वाली कच्ची देशी शराब की बिक्री। इस मामले में, राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब केवल सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी।

• **पार्ट-सी कमीशन:** शराब बनाने वालों से रिश्वत लेकर उन्हें कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने की अनुमति दी जाती थी।

• **एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन,** जिन्हें विदेशी शराब क्षेत्र में भी कमाई के लिए लाया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध पीओसी भर गई। इससे पहले, इस मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।